

कार्यालय परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.)

Email id: icdspali123@gmail.com

क. / 824 / मबावि / नियुक्ति. / 2026-27

पाली, दिनांक 25 / 08 / 2026

दावा-आपत्ति सूचना

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 728 / 1098 / 2008 / मबावि / 50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक / IT / 830 / 2025-WCD HOD IT SECTION IT नवा रायपुर, दिनांक 05.01.2026 में निहित निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना पाली के आ.बा. केंद्र स्कूलपारा / बजरंगचौक / शिवपुर में आ.बा. सहायिका भर्ती हेतु ई-भर्ती पोर्टल <https://aww.e-bharti.in> में आवेदन मंगाया जाकर, निर्देशों का पालन करते हुए, मूल्यांकन समिति द्वारा प्राविधिक मूल्यांकन के परीक्षण पश्चात् आज दिनांक 25.08.2026 को अनंतिम योग्यता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। दिनांक 27.08.2026 से 07.09.2026 तक केवल ऑनलाईन माध्यम से ई-भर्ती पोर्टल <https://aww.e-bharti.in> में तथ्यपरक दावा आपत्ति आमंत्रित की जाती है। समयावधि के उपरान्त किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जा सकेगा साथ ही साथ दावा-आपत्ति के समय प्रस्तुत किसी भी प्रकार के अतिरिक्त दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों को संलग्न नहीं किया जावेगा तथा मान्य नहीं होगा। ई-भर्ती पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली दावा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

ई-भर्ती पोर्टल <https://aww.e-bharti.in> में दावा आपत्ति का अन्तिम दिनांक 07.09.2026

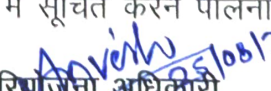

संयोजक 25/08/26
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
पाली, जिला- कोरबा (छ.ग.)

पृ. क. / 825 / मबावि / नियुक्ति / 2026-27

पाली, दिनांक 25 / 08 / 2026

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय कोरबा जिला कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी म.बा.वि. जिला प्रकोष्ठ कोरबा को सादर सूचनार्थ ।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कोरबा को सगाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सादर सूचनार्थ ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाली जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत एवं कृपया मुनादी करवाने का कष्ट करें।
5. शाखा प्रभारी, बाल विकास परियोजना कार्यालय पाली को अनंतिम योग्यता की सूची जनपद पंचायत कार्यालय एवं गवावि कार्यालय एवं संबंधित आ.बा. केंद्र में प्रकाशन चस्पा हेतु।
6. संबंधित रोकट पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास परियोजनापाली के अधिनस्थ क्षेत्रों में सूचित करने पालनार्थ ।


परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)

